यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पौड़ी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पौड़ी के माह 05/2016 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार, व.ले.प., श्री शूरवीर सिह राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.08.2017 से 01.09.2017 तक श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक, श्री दीपेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.05.16 से 08.06.16 तक श्री रणवीर सिंह चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2014 से 04/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (I) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- पौड़ी क्षेत्र, नंदा देवी, कन्याधन योजना RUTF, वृद्ध महिला पोषण, THR/Cooked food ।

(II) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	00	00	1229.21	851.65	2364.5	1770.52	-	971.19
2015-16	00	00	178.00	172.12	251.09	214.79	-	42.18
2016-17	00	00	49.47	39.00	169.78	169.64	-	10.61

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	व्यय आ धक्य (+)	बचत (-)
-------------------------शून्य -------------------------					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार व केन्द्र **द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना को सम्मि लत करते** हुए इकाई ग्राहक विभाग से राशि प्राप्त करता है तथा **इकाई सी श्रेणी की है।** विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् है :

1. सचिव, 2. निदेशक, 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पौड़ी, एवं लेखापरीक्षा विधि लेन–देन की लेखापरीक्षा **को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन** कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पौड़ी **की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षो पर आधारित है। माह 09/2016 एवं .... को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।** नंदा देवी कन्याधन योजना वृद्ध महिला पोषण योजना, RUTF THR/Cooked food का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 (i) लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 01: ब्याज प्राप्ति रू0 1, 74,007/– की धनराशि राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या : U.O.18/XXVII (6)–टी.सी.ए. 934–2014, दिनांक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग के आदेश संख्या : 610/XVII (4)/2017–2 (8) 2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराशि बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है और उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक घोर वित्तीय अनियमितता है तथा निर्देशित किया है कि जितने भी बैंक खाते हैं उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन शासनादेश संख्या 99/XXVII (14) 2009 दिनांक 03.09.2009 द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकत निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्ष–0049–ब्याज प्राप्तियां, 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां, 800 अन्य प्राप्तियां–12, अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाय।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा पदनाम बैंक खाते में कुल 1,74,007/– का ब्याज अर्जित किया गया था जो लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक बैंक खाते में ही पड़ी थी। उक्त शासनादेशों के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था परन्तु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों की जानकारी प्राप्त न होने के कारण धनराशि जमा नहीं की गई थी जिसे यथाशीघ्र जमा करा दी जायेगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः रू0 174007/– की ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : वर्ष 2016–17 में रू0 45,99,600/– की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 460/XXVII (4)/2016-129/06TC. दिनांक 10.02.2016 तथा आई.सी.डी.एस. निदेशालय, देहरादून के पत्रांक : सी–29/रिपोर्ट/14/2017–18, दिनांक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री बृध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रियान्वयन हेतु इकाई द्वारा वर्ष 2016–17 में आवंटित धनराशि रू0 4600000.00 के सापेक्ष रू0 45,99,600.00 का व्यय दर्शाते हुए अधीनस्थ बाल विकास परियोजना अधिकारियों को E-transfer/Payment के माध्यम से ट्रेजरी बिल संख्या 0006,0142,0143 द्वारा हस्तान्तरित की गई है जिसके उपभोग प्रमाण पत्र अधीनस्थ बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे परन्तु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उक्त धनराशि का उसी मद में व्यय किया गया है जिस मद हेतु धनराशि आवंटित की गई थी तथा हस्तान्तरित धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जा चुका है अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि इस संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः वर्ष 2016–17 में रू0 45,99,600/– की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1 : विभागीय उदासीनता के कारण 'नंदा देवी कन्या योजना' के अन्तर्गत कुल 360 लाभार्थियों को रू0 15000/— प्रति की दर से रू0 54.00 लाख का भुगतान किया जाना लंबित रहना।

राज्य सहायतित नंदा देवी कन्या योना का लाभ राज्य के उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवर 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जम्न लिया हो तथा वे इस याजेना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को दिया जाना है। योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रू0 15000/— की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किस्त के रूप में रू0 5000/— की धनराशि आवेदन प्रस्तुत करने पर एकाउन्ट पेयी चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी। शेष रू0 10,000/— की धनराशि की एफ.डी. बैंक में कन्या तथा उसी माता के नाम से संयुक्त रूप से कराई जायेगी। द्वितीय किश्त के रूप में पुनः रू0 5000/— की धनराशि कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कन्या के माता के खाते में हस्तान्तरित की जायेगी शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिए एफ.डी. करा दी जायेगी जिसमें से तृतीय एवं अंतिम किश्त के रूप ब्याज सहित शेष धनराशि बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु, पूर्ण होने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई को कुल 1126 आवेदन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुये थे जिसमें से मात्र 766 आवेदकों का संज्ञान लेते हुए मुख्यालय से रू0 1,15,00,000/— की धनराशि प्राप्त की गयी। आंवटित धनराशि से 766 आवेदकों को योजना का लाभ देने हेतु ुचना गया जबकि 360 आवेदकों (1126—766) को इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया जिनको लाभान्वित करने हेतु रू0 54.00 लाख की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि इस संबंध में बजट हेतु निदेशालय को पत्र लिखा जा रहा है।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या के आधार पर मुख्यालय से धनराशि की मांग की जानी चाहिए ताकि कोई भी आवदेक योजना के लाभ से वंचित न रहे, जबकि इकाई द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही किये जाने संबंधी प्रमाण नहीं पाये गये। इस प्रकार विभागीय उदासीनता के परिणामस्वरूप 360 आवेदक इस येाजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित थे जिस हेतु रू0 54.00 लाख की आवश्यकता थी एवं जो इकाइ के पास उपलब्ध नहीं था।

इस प्रकार 360 लाभार्थियों को रू0 15000/— प्रति की दर से रू0 54.00 लाख का भुगतान लंबित रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2 : रू0 122.80 लाख की धनराशि के 36 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण एवं 9 पुराने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण के कार्य को अपूर्ण रखते हुए रू0 48.20 लाख की धनराशि को अवरूद्ध रखा जाना।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, पौड़ी के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनपद पौड़ी में 49 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण एवं 9 पूर्व आंगनबाड़ी भवनों के उच्चीकरण कार्यों हेतु रू0 229.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी (फरवरी 2015)। समेकत बाल विकास निदेशालय द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि वर्ष 2014–15 में उक्त धनराशि का उपयोग कर निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाए। देर से धनराशि प्राप्त होने की वजह से उसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्यो के पूर्ण होना संभव न हो पाने के वजह से जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा उक्त धनराशि मुख्य विकास धिकारी पौड़ी के पी.एल.ए. खाते में रखने की अनुमति प्रदान की। बाद में उक्त धनराशि इकाई के बैंक खाते में न ली जाकर काफी विलंब से सीधे खण्ड विकास अधिकारियों को निर्माण कार्यों हेतु प्रदान की गयी। निर्माण कार्य संबंधी अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 49 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण एवं 09 पुरानी आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण के कार्य के सापेक्ष संप्रेक्षा तिथि तक मात्र 13 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों का ही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था। इस प्रकार 36 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण एवं 09 पुरानी आंगनबाड़ी केन्द्रों के उच्चीकरण का कार्य विकासखण्डों को धनराशि उपलब्ध कराने के 12–18 माह की अवधि बीत जाने के पश्चात भी अपूर्ण था। इकाई द्वारा ब्लॉक स्तर से निर्माण कार्यों की प्रगति संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी जिससे लेखापरीक्षा को यह ज्ञात नहीं हो सका कि निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है। इस प्रकार 122.80 लाख की धनराशि खंड विकास स्तरों पर बिना किसी उपयोग के अवरूद्ध थी, इसके साथ ही निर्माण कार्यों की रू0 48.20 लाख की धनराशि को पी.एल.ए. खाते में अवरूद्ध रखा गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि 36 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा तथा पी.एल.ए. में अवरूद्ध धनराशि यथाशीघ्र ही निर्माण कार्यों को जारी की जाएगी। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों के प्रगति संबंधी कोई भी अभिलेख इकाई के पास उपलब्ध नहीं थे। अतः निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रमुख कारण धनराशि का प्रयोग ही न किया जाना था तथा पी.एल.ए. में अवरूद्ध धनराशि के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति को इकाई द्वारा स्वीकार किया गया है।

अतः रू0 122.80 लाख की धनराशि के 36 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण एवं 09 पुराने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण के कार्य को अपूर्ण रखते हुए रू0 48.20 लाख की धनराशि को अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 3 : RUTF योजना के अन्तर्गत अति कुपोषित बच्चों को मानक के अनुसार 3 माह तक ''ऊर्जा'' नामक पोषक तत्व न प्रदान करने के परिणामस्वरूप 46 बच्चों का अतिकुपोषित रहना।

राज्य के समस्त अतिकुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्रांक 81/XVII (4)/2017–05 (126)/2016, दिनांक 21.01.2017 द्वारा RUTF (Ready to use Therapies food) के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये, जिसके अनुसार अति कुपोषित बच्चों को RUTF के अन्तर्गत ''ऊर्जा'' नामक पोषक तत्व प्रदान किया जायेगा। 06 माह से 1 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चों को दिन में 02 बार 50 ग्राम प्रतिवेदन ''ऊर्जा'' पोषक तत्व खिलाया जाना था तथा 01 वर्ष से 05 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को दिन में 2 बार, 100 ग्राम प्रतिदिन ''ऊर्जा'' पोषक तत्व खिलाया जाना था। अति कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में आने के बाद दो माह तक इसे खिलाया जाना था। जिसका व्यय 3 माह हेतु मुख्यमंत्री बाल योजना के अन्तर्गत मानक मद 42 के अंतर्गत किया जाना था।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पौड़ी के RUTF सम्बन्धी अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 01 से 05 तक के 95 बच्चों को दो माह तक ऊर्जा पोषक तत्व प्रदान किया गया, जिससे केवल 49 बच्चे ही कुपोषण से मुक्त हुए, शेष 46 बच्चे कुपोषण से मुक्त नहीं हुए। योजना के निर्देशानुसार 3 माह तक ऊर्जा पोषक तत्व प्रदान किया जाना था। यदि तीन माह तक 'ऊर्जा' पोषक तत्व प्रदान किया जाता तो शेष 46 बच्चे भी कुपोषण से मुक्त हो सकते थे। इसके अतिरिक्त योजना के निर्देशानुसार, अति कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी (1+49) में आने के दो माह बाद तक ''ऊर्जा'' पोषक तत्व खिलाया जाना था, जबकि केवल एक माह तक खिलाया गया, जो योजना के उद्देश्यों के विपरित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया कि बजट की अनुपलब्धता के कारण मात्र दो माह ही ऊर्जा पोषण तत्व प्रदान किया गया। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि इकाई द्वारा तीसरे माह हेतु ऊर्जा पोषक तत्व प्रदान करने के लिए, बजट प्राप्त करने सम्बन्धी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जबकि शासन द्वारा तीन माह हेतु धनराशि का प्रावधान किया गया था। मानक के अनुसार तीन माह तक लगताार उर्जा पोषक तत्व अति कुपोषित बच्चों को प्रदान न करने के कारण 46 बच्चे अति कुपोषित रहे तथा सामान्य श्रेणी में आये (1+49) बच्चों को भी पुनः अति कुपोषित होने की सम्भावना से इकांर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार योजना के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सका।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या	STAN
20/2016-17	-	1, 2	TAN
113/2014-15	-	02	01
81/2012-13	-	05	-
165/2008-09	-	02	-
89/2007-08	-	01	-
22/2005-06	01	01	-

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पौड़ी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री एस.के. त्रिपाठी	डी.पी.ओ.	08.08.2014 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, पौड़ी को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून–248195 को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
सामाजिक क्षेत्र